झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम (बजट)सत्र
वर्ग-02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार,दिनांक- 17 फाल्गुन,1943(श0) / 08 मार्च,2022(ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
67-	अ0सू0-03	श्री बंधु तिर्की	समाधान करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.22
68-	अ0सू0-24	श्री सुदेश कु0 महतो	बालू तस्करी रोकना।	खान एवं भूतत्व	01.03.22
69-	अ0सू0-18	श्री अनन्त कु0 ओझा	मिट्टी कला का संरक्षण।	पर्या0कला0 सं0 खेल कूद एवं युवा कार्य	27.02.22
70-	अ0सू0-28	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	राशि मुहैया कराना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	03.03.22
71-	अ0सू0-23	श्री दीपक विरुवा	मानदेय में वृद्धि कर स्थाई करना।	उद्योग	28.02.22
72-	अ0सू0-11	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	शिक्षण संस्थान को प्रस्वीकृति देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.22
73-	अ0सू0-10	श्री अमर कुमार बाउरी	प्रवरण वेतनमान देना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.22
74-	अ0सू0-22	श्री ढुलू महतो	दोषी पर कार्रवाई।	खान एवं भूतत्व	28.02.22
75-	अ0सू0-29	श्री ढुलू महतो	नियमावली का गठन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	03.03.22
76-	अ0सू0-01	श्री बिरंची नारायण	राजस्व बढ़ाना।	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	17.02.22
77-	अ0सू0-04	डॉ0कुशवाहा शशिभूषण मेहता	आवागमन की सुविधा देना।	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	23.02.22
78-	अ0सू0-02	डॉ0 सरफराज अहमद	आठवीं बोर्ड में उर्दू रखना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.22

उत्तर संलग्न

\+ 69 - अ0सू0-18- पर्यटन कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग के पत्रांक 328 दिनांक 4/3/22 के द्वारा उद्योग विभाग में स्थानान्तरित।

70 - अ0सू0-28- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक-383- दि0 5/3/22 के द्वारा कृ0पृ030 अनु0... अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग को स्थानान्तरित।

⊕ 76- अ0सू0-01 वन पर्या0 एवं जलवायु परि0 वि0 के पत्रांक [illegible] दि0 4/3/22 के द्वारा स्थानान्तरित कृषि पशुपा0 एवं सहकारिता विभाग स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
79-	अ0सू0-12	श्री प्रदीप यादव	निजी विश्वविद्यालय की स्वीकृति।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	25.02.22
80-	अ0सू0-13	डॉ0लम्बोदर महतो	कर्मचारियों का स्थायीकरण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.22
81-	अ0सू0-08	सुश्री अम्बा प्रसाद	अनुश्रवण समिति का गठन।	खान् एवं भूतत्व	23.02.22
82-	अ0सू0-26	श्री अमित कुमार यादव	मुआवजा राशि में वृद्धि।	वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन	03.03.22
83-	अ0सू0-07	श्री मनीष जायसवाल	राशि की वसूली करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.22

राँची,
दिनांक-08 मार्च,2022

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-03/2020-.....1020.....वि0स0,राँची,दिनांक-.....07/03/22.....

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

(गुरूचरण सिंकु)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-03/2020-.....1020.....वि0स0,राँची,दिनांक-.....07/03/22.....

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या- प्रश्न-03/2020-.....1020.....वि0स0,राँची,दिनांक-.....07/03/22.....

प्रतिः- कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, जे0भीएस0 टी0भी शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

07/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

पाण्डेय/-

07/03/22

67

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक–1945 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा गैर–सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 31.03.2019 तक नियमावली बनने तक विद्यालयों में नई नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया था?	आंशिक स्वीकरात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि गैर–सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में निदेशालयीय पत्रांक– 1945, दिनांक 11.12.2018 के द्वारा 31 मार्च 2019 तक नई नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। वर्तमान में यह रोक प्रभावी नहीं है, जिसके फलस्वरूप गैर–सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च, 2019 के उपरांत लगभग 20 से 25 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है एवं प्रारंभिक विद्यालय में हजारीबाग जिला में नियुक्ति की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा तीन वर्षो की अवधि में भी इन विद्यालयों के लिए नियमावली नहीं बनायी जा सकी है;	गैर–सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियमावली गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक–1443, दिनांक 23.08.2021 के द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक) माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2015–2018 में नियुक्त शिक्षक एवं प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति/प्रोन्नति का अनुमोदन विद्यालय में योगदान की तिथि से न देकर सेवा अनुमोदन हेतु गठित समिति की तिथि से दी जा रही है;	स्वीकारात्मक है। निदेशालयीय पत्रांक 1443 दिनांक 23.08. 2021 द्वारा इस संबंध में दिशानिदेश पूर्व से निर्गत है। सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि – (*i*) झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण–ग्रहण) अधिनियम, 1981 की सुसंगत धाराओं के तहत् इस कोटि के विद्यालयों के शिक्षकों (प्रधानाध्यापक सहित) की नियुक्ति विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत् रूप से किये जाने के पश्चात् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। (*ii*) जबकि संबंधित प्रबंध समिति, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा का बिना पूर्व अनुमोदन

		प्राप्त किये शिक्षकों (प्रधानाध्यापक सहित) का विद्यालय में योगदान करा लेते हैं, जो नियमानुकूल नहीं है। (*iii*) अतएव पत्र में निदेश दिया गया है कि अगर कोई शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित), निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पूर्व अनुमोदन के बगैर विद्यालय में योगदान करता है, तो उस शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित) का योगदान स्वीकृत नहीं माना जायेगा तथा ऐसे मामलों में राज्य सरकार वेतनादि के भुगतान हेतु जिम्मेवार नहीं होगी। (*iv*) स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय वर्त्तमान में अनुमोदन हेतु विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों में भी लागू समझा जाय।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति नियमावली, निदेशालय स्तर पर लम्बित वेतन निर्धारण/नियुक्ति का अनुमोदन एवं नये अंशदायी योजना 2004 पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए समाधान करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गैर–सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारम्भिक विद्यालय के 457 शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का नियुक्ति अनुमोदन के लगभग 150 लंबित मामलों में से 127 मामलों पर विचार करते हुए 95 शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया गया है। गैर–सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक–01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–169/2022....409.... राँची, दिनांक 07/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(68)

श्री सुदेश कुमार महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–24

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि राज्य में बालू की लूट मची है और 375 बालू घाटों की नीलामी लंबे समय से नहीं की गई है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
झारखण्ड राज्य में बालू के खनन, उत्पादन एवं प्रेषण हेतु राज्य सरकार के अधिसूचना संख्या–581, दिनांक–16.08.2017 द्वारा Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के द्वारा Category-II के बालूघाटों का संचालन किया जा रहा है तथा Category-I के बालूघाटों को पंचायत स्तर पर संचालन हेतु संबंधित पंचायत को सुपुर्द किया जाता है। सम्प्रति बालूघाटों की नीलामी नहीं की जाती है।
Category-II के बालूघाटों के संचालन का दायित्व झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 को है। झारखण्ड राज्यान्तर्गत Category-II के कुल 608 बालूघाट है, जिसमें से मात्र 22 बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 द्वारा किया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि बालू की तस्करी और अवैध खनन में जुटे लोगों को प्रत्यक्ष–परोक्ष रूप में व्यवस्था का साथ मिलता रहा है;</td><td>अवैध खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स का गठन किया गया है एवं समय–समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है तथा नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। झारखण्ड राज्यान्तर्गत विगत तीन वर्षों में बालू के अवैध खनन के बावत की गयी प्राथमिकी, जप्त वाहनों की संख्या एवं वसूली गयी राशि निम्नवत् हैः–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>दर्ज प्राथमिकी की संख्या</th><th>जप्त वाहनों की संख्या</th><th>वसूली गयी राशि (लाख रूपये में)</th></tr>
<tr><td>2019–20</td><td>308</td><td>888</td><td>409.96</td></tr>
<tr><td>2020–21</td><td>309</td><td>1082</td><td>248.62</td></tr>
<tr><td>2021–22</td><td>704</td><td>1325</td><td>268.55</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या यह बात सही है कि बालू घाटों की नीलामी नहीं किये जाने से सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है और आम लोगों को ज्यादा कीमत पर बालू खरीदनी पड़ रही है;</td><td>यथा उपरोक्त कंडिका–1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू घाटों की नीलामी करने एवं बालू की तस्करी रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>तदैव</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि0स0(अ0सू0)–26/2022513 /एम0, राँची, दिनांकः–07/3/2022

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–749 दिनांक–01.03.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/3/22

सरकार के उप सचिव

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पूर्व की सरकार द्वारा राज्य के कुम्हारों के आर्थिक उत्थान हेतु "माटी कला बोर्ड" का गठन किया गया था एवं बोर्ड द्वारा शिल्पकारों को आधुनिक प्रशिक्षण के लिए कई जगह ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित की गयी थी, जहाँ सैकड़ों शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जाती थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि माटी कला बोर्ड का कार्यकाल मई, 2020 में ही समाप्त हो गयी है और आजतक इस बोर्ड के पुर्नगठन की दिशा में वर्त्तमान सरकार द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया हे, जिस कारण यहाँ के कुम्हारों के दैनिक सामान के निर्माण, रोजगार और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड माटी कला बोर्ड वर्त्तमान में कार्यरत है। तथा राज्य के कुम्हारों/मिट्टी शिल्पकारों एवं लाभूकों के लिए निम्न प्रावधान किये गये हैं– **मशीन एवं उपकरणों का वितरण** (a) विद्युत चाक–कुल 2184 (दो हजार एक सौ चौरासी) (b) पगमिल–कुल 337 (तीन सौ सैंतीस) (c) जिगर जौली–कुल–41 (एकतालीस) (d) राँची, दुमका एवं गोला में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं। इसके साथ ही कुम्हारों का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन जारी है।
3.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के कुम्हार व शिल्कार परम्परागत पेशा से विमुख होकर दिहाड़ी मजदूरी करने तथा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन को विवश है, जबकि दूसरे प्रदेशों से झारखण्ड में प्रतिवर्ष करोड़ों रूपयों की माटी से निर्मित वस्तुओं का आयात कर विक्रय किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। राज्य के कुम्हार एवं शिल्पकार वर्ग के उत्थान के लिए अगले वित्तीय वर्ष आवश्यकता अनुसार बजटीय उपबंध किया गया है एवं उनके सहयोग हेतु अनुदान पर विद्युत चाक–कुल 1040 (एक हजार चालीस), पगमिल–कुल 100 (एक सौ) एवं प्रेस मशीन कुल–100 (एक सौ) वितरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण हेतु छः बैच का लक्ष्य तथा कार्यशाला का भी प्रावधान किया गया है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब झारखण्ड माटी कला बोर्ड का पुर्नगठन कर कुम्हारों व शिल्पकारों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक उत्थान की दिशा में नयी तकनीक के साथ प्रशिक्षित करते हुए मिट्टी कला के संरक्षण एवं संवर्धन का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–26/2022 260 /राँची, दिनांकः– 07.03.22

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–697 दिनांक–23.02.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(70)

प्रो० स्टीफन मरांडी, स० वि० स० द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–28 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही हे कि राज्य के स्कूलों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के पहली से दसवीं तक कुल 31,91,056 नामांकित छात्र–छात्राओं में से केवल 20,95,738 बच्चे ही छात्रवृत्ति के लिए रजिस्टर्ड है और 10,95,332 बच्चे अभी भी छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित है,	आंशिक स्वीकारात्मक। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के पहली से 10वीं तक कुल 31,23,985 छात्र/छात्राएँ नामांकित है जिसमें से ई–कल्याण पोर्टल पर 22,79,523 छात्र/छात्राएँ रजिस्टर्ड है। विभिन्न कारणों से छुटे हुए छात्र/छात्राओं को एक अभियान के अन्तर्गत बैंक खाता/बैंक खाता से आधार सीडींग/ई–के०वाई०सी० कराते हुए ई–कल्याण पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति दिलाने हेतु सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्रांक–50, दिनांक–19.01.2022 द्वारा आदेश दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही कि राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत् उक्त जाति वर्ग के बच्चों को पहली से चौथी तक 500/– रूपये और पांचवी से आठवीं तक के बच्चों को 1,000/– रूपये सलाना छात्रवृत्ति के रूप में देने का प्रावधान है,	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को पहली से चौथी तक हॉस्टेलर को रू० 1500/–, डे–स्कॉलर को रू० 500/–, पांचवी से छठीं तक हॉस्टेलर को रू० 1500/–, डे–स्कॉलर को रू० 1000/–, सातवीं से दसवीं तक के पिछड़ी जाति के हॉस्टेलर छात्र/छात्राओं को रू० 2000/– एवं डे–स्कॉलर छात्र/छात्राओं को रू० 1500/–, कक्षा 07 एवं 08 के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हॉस्टेलर छात्र/छात्राओं को रू० 2000/– एवं डे–स्कॉलर छात्र/छात्राओं को रू० 1500/–, कक्षा 09 एवं 10 के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हॉस्टेलर छात्र/छात्राओं को रू० 4500/– एवं डे–स्कॉलर छात्र/छात्राओं को रू० 2250/– की छात्रवृत्ति 10 (दस) माह के लिए प्रदान की जाती है।
3.	क्या यह बात सही है कि बच्चों के बैंक खाता नहीं रहने, खाता रहने पर, आधार सीडिंग नहीं होने, के०वाई०सी०. अपडेट नहीं होने और एक साल तक कोई लेन–देन नहीं होने पर खाता लॉक किये जाने की वजह से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पा रही है,	स्वीकारात्मक। छात्र–छात्राओं का नया आधार नहीं बनने के कारण तथा अन्य उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए, इस उद्देश्य से कि सुयोग्य छात्र–छात्राएँ छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाय इसलिए राज्य योजना अन्तर्गत प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित छात्र–छात्राओं को नियमानुसार NEFT के माध्यम से करने हेतु विभाग द्वारा (विभागीय आदेश संख्या–418, दिनांक–14.02.2022) आदेश दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वंचित छात्र–छात्राओं को शीघ्रातिशीघ्र छात्रवृत्ति की राशि मुहैया कराने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०(अल्पसूचित)–06/2022– 708 राँची, दिनांक– 07/03/2022

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–869 दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07.03.2022

(रवि रंजन मिश्रा)
सरकार के अपर सचिव।

71

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के उद्योग विभाग में हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना केन्द्रों में दस सालों से आउट सोर्सिंग के तहत 27 परियोजना निदेशक 10 हजार प्रतिमाह मानदेय की दर से कार्यरत हैं;	अस्वीकारात्मक। परियोजना निदेशक नहीं बल्कि परियोजना सहायक एवं परियोजना प्रबंधक आउट सोर्सिंग के तहत कार्यरत हैं।
2.	क्या यह बात सही है, कि रेशम विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी कार्य उनके द्वारा ही निष्पादित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। परियोजना सहायक एवं परियोजना प्रबंधक का सहयोग मुख्यतः तकनीकी कार्यो के लिए किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परियोजना निदेशकों की कार्यकुशलता को देखते हुए वर्त्तमान परिपेक्ष्य में मानदेय राशि में वृद्धि करते हुए स्थायीकरण करने का है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	परियोजना निदेशक का पद स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, अतएव मानदेय राशि वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–21/2022 259 /राँची, दिनांकः– 07/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–743 दिनांक–28.02.2022 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/3/22.
सरकार के अवर सचिव

(72)

540
07/03/2022

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जैक द्वारा सारे मानको को पूरा करने वाले 150 शिक्षण संस्थानों (इंटर कॉलेज, संस्कृत विद्यालय, मदरसा एवं उच्च विद्यालयों) की प्रस्वीकृति दो वर्ष पूर्व अनुशंसा भेजी गयी है;	सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के पत्रांक 891/22 दिनांक 04.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि परिषद् द्वारा इंटर महाविद्यालयों के 21, संस्कृत विद्यालयों के 05, मदरसा के 01 एवं उच्च विद्यालयों के 75, कुल 101 शिक्षण संस्थानों की प्रस्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है, जिसमें 22 शिक्षण संस्थानों पर शर्त्तो की पूर्ति के संबंध में निदेशालय द्वारा आपत्ति की गयी है। उक्त संस्थानों को प्रस्वीकृति प्रदान करने के उपरांत अनुदान के रूप में होने वाले संभावित व्यय का आकलन किया जा रहा है। तदोपरान्त नियमानुसार निर्णय लिये जाने के संबंध में निदेशालय द्वारा सूचित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्ष में खण्ड–1 में वर्णित स्कूलों में से एक भी स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करने के कारण इसमें पढ़ने वाले गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति/साईकिल /पोशाक आदि का लाभ एवं अनुदान नहीं मिलने से पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी मानदेय नहीं मिल पा रहा है;	विगत दो वर्षो में 06 माध्यमिक विद्यालयों तथा 01 इंटर महाविद्यालय को प्रस्वीकृति/स्थायी प्रस्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची के द्वारा अनुशंसित माध्यमिक विद्यालयों के 38, इंटरमीडिएट महाविद्यालयों के 9, संस्कृत विद्यालयों के 5 तथा मदरसा का 1 प्रस्ताव प्रस्वीकृति हेतु निदेशालय स्तर पर संप्रति विचाराधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 150 शिक्षण संस्थानों को प्रस्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–1 में सन्निहित है।

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–197/2022 540 राँची, दिनांक 07/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

(73)

श्री अमर कुमार बाउरी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015 (अधिसूचना संख्या–434 दिनांक– 1 मार्च, 2016) बनाई गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अधिसूचना के अध्याय 3 के कंडिका 6 के उप कंडिका 1 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को 12 वर्ष में वरीय वेतनमान् में तथा 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रवरण वेतनमान् देना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015 की कंडिका 6(i) में वरीय एवं प्रवरण वेतनमान के संदर्भ में निम्न प्रावधान अंकित है :– केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा–निदेशों के अनुरूप नियम–3 में दर्शायी गयी श्रेणियों की मूल कोटि के वेतनमान में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदों के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान में न्यूनतम 12 वर्षों की सेवा करने वाले शिक्षकों को वरीयता क्रम में देय होगा। प्रवरण वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया जायेगा। उक्त प्रोन्नति इस नियमावली के अध्याय–8 में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा की जायेगी। स्पष्टतः पद रिक्ति, आरक्षण, अर्हत्ता एवं वरीयता अनुसार, 24 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के उपरांत देय है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आधार पर देवघर, गढ़वा एवं पाकुड़ जिले के शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रवरण वेतनमान का लाभ देते हुए आर्थिक लाभ दिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–111 दिनांक 28.02.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाकुड़ जिला में शिक्षकों को 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति एवं उसका आर्थिक लाभ दिया गया है, मात्र उन्हें भूतलक्षी तिथि से अन्तर राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जो देय नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 249 दिनांक 28.02.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गढ़वा जिला में शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर के पत्रांक 889 दिनांक 23.09.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार देवघर जिला में प्रवरण वेतनमान का लाभ कतिपय शिक्षकों को दिया जा चुका है तथा कतिपय शिक्षकों के मामले में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उपर्युक्त संबंध में पूर्व में अनियमित/गलत रूप से दी गयी प्रोन्नति की समीक्षा करते हुए मात्र योग्यता/अर्हत्ताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति दिये जाने के निमित अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है।

73

541
07/03/2022

श्री अमर कुमार बाउरी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–10

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
4.	क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य जिलों यथा राँची, खूँटी, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम के शिक्षक 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बावजूद आज तक प्रवरण वेतनमान से वंचित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक–1802 दिनांक 24.09.2021 द्वारा पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प/परिपत्रों के अनुक्रम में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति हेतु, सिवाय जिनकी सेवा दिनांक 19.12.1992 को 18 वर्ष पूर्ण हो गयी हो को छोड़कर, नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर की योग्यता अनिवार्य रूप से धारित किये जाने के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर प्रोन्नति पर रोक है, अतएव प्रोन्नति के पूर्व की सभी कार्रवाई, जिसमें वर्षवार वरीयता सूची का निर्माण, प्रकाशन एवं अनुमोदन की कार्रवाई करने हेतु जिला को निदेश दिया गया है, जिसके आलोक में जिला स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के मार्गदर्शन एवं क्रियान्वयन हेतु संकल्प निर्गत किये जाने की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–03 में वर्णित शिक्षकों की तरह राज्य के अन्य जिलों में भी संतोषजनक 24 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

07.03.22

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–194/2022 541 राँची, दिनांक 07/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.03.22

सरकार के अवर सचिव।

74

श्री ढुलू महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–22

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि DMFT के द्वारा धनबाद जिला में विकास कार्य हेतु 11 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध होने के बावजुद स्थानीय प्रशासन द्वारा विकास कार्य नहीं कराये जा रहे है,	उत्तर अस्वीकारात्मक है। धनबाद जिला में District Mineral Fund के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से अबतक कुल मो० 2152.65 करोड़ रू० प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्व पेयजलापूर्त्ति, स्वास्थ्य, प्रक्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेत्र, कौशल विकास, आधारभूत संरचना विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता प्रक्षेत्र, ऊर्जा एवं जल संरक्षण प्रक्षेत्र की व अन्यान्य सहित कुल 335 योजनाएँ जिसकी लागत राशि मो० 1663.14 करोड़ रू० है, की स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल स्वीकृत योजनाओं के विरूद्व 124 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
2	क्या यह बात सही है कि DMFT के द्वारा राशि के उपयोग किये जाने के लिए एक मानक तय है जिसके आधार पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों के अनुशंसा पर कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है,	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। झारखण्ड सरकार के खनन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार/व्यक्तियों के हितों की रक्षा एवं आधारभूत संरचना सुविधाओं को मुहैया कराने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा–9B में उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति का गठन किया गया है। शासी परिषद् में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के माननीय सांसद, माननीय विधायक, निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा निर्वाचित मुखिया एवं उप मुखिया सदस्य हैं। DMFT अन्तर्गत लिये जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं का चयन ग्रामसभा द्वारा मुखिया एवं उप मुखिया के परामर्श के आलोक में करते हुए Management Committee को सत्यापन हेतु अग्रसारित किया जाता है, जिसके अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति हेतु योजनाओं की सूची शासी परिषद को उपलब्ध करायी जाती है।
3	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में कोविड महामारी काल के दौरान आम जनता के हित में कोई कार्य नही किया गया जबकि केन्द्र सरकार का स्पष्ट निदेश है कि DMFT फण्ड का 30 प्रतिशत कोविड महामारी के रोकथाम, उपचार एवं इससे संबंधित कार्य कराये जाने की बाध्यता थी,	उत्तर अस्वीकारात्मक है। I. खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–DO No.7/2/2020-MIV, दिनांक–28.03.2020 द्वारा राज्य सरकारों को COVID-19 महामारी के रोकथाम हेतु DMFT से राशि खर्च करने की अनुमति (One time Relaxation) निम्न शर्त्तो के आधार पर दी गयी थी :– क) COVID-19 से संबंधित खर्च DMFT में उपलब्ध राशि (Balance) का 30 प्रतिशत से अधिक न हो। ख) जिला में एक भी कोविड पॉजिटिव मरीज पाये जाने पर जिला में DMFT निधि से चिकित्सा उपकरण की क्रय एवं चिकित्सा Infrastructure में राशि का उपयोग किया जा सकता है। ग) सभी जिलो में DMFT निधि से Facemask, साबुन, सेनिटाइजर का क्रय एवं जरूरतमंदो को भोजन वितरण में किया जा सकता है घ) उपकरणों का क्रय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निर्धारित नीतियों एवं दिशा निर्देशो के आधार पर किया जाएगा।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
		ङ) उपकरणों का क्रय/स्थापना में किये गए खर्च में जिला प्रशासन द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। च) उपकरणों का क्रय/स्थापना में किये गए खर्च का नियमानुसार अंकेक्षण जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। II. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्रानुसार जून माह में मुख्यमंत्री दीदी किचन (भोजन वितरण) के संचालन हेतु खान मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्रांक–7/2/2020-MIV, दिनांक 28.03.2020 (पृष्ठ 286–285/प०) द्वारा दिये गए One time Relaxation के आलोक में District Mineral Foundation Fund में उपलब्ध निधि का उपयोग करने का निदेश सभी उपायुक्त, झारखण्ड को दिया गया है (अनुलग्नक–II) III. खान मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र DO No. 7/2/2020-MIV, दिनांक–28.03.2020 के आलोक में उपलब्ध संसाधन के अधिकतम 30 प्रतिशत अधिसीमा तक COVID-19 संबंधी कार्यो के लिए व्यय का प्रावधान है। धनबाद जिलान्तर्गत COVID महामारी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लहर के दौरान COVID महामारी से बचाव के लिए 140 ICU Beds, 1000 LPM के 02 अदद् PSA Plant का अधिष्ठापन, Medical Gas Pipeline System का अधिष्ठापन, 50 Oxygen Concentrator का क्रय, कोविड कंट्रोल रूम का अधिष्ठापन/संचालन, टेलीमेडिसीन स्टुडियो का संचालन, विभिन्न CHC केन्द्रो में निर्वाध विद्युत आपूत्ति के लिए सोलर पैनल का अधिष्ठापन, सदर अस्पताल एवं एस०एन०एम०एम०सी०एच०, धनबाद में निर्वाध विद्युत आपूर्त्ति हेतु जनरेटर सेट का अधिष्ठापन, कोविड जाँच हेतु Rapid Antigen Testing Kit का क्रय, स्वास्थ्य कार्यो से संबंधित मानव संसाधन की उपलब्धता एवं दीदी किचन के तहत भोजन की समुचित व्यवस्था सहित COVID Managment हेतु विभिन्न आवश्यक कार्य किए गए हैं।
4	क्या यह बात सही है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा DMFT Fund के उपयोग हेतु किये गये अनुशंसा के आलोक में एक भी बैठक आयोजित नही की गई और DMFT के राशि को कहॉ किस आधार पर खर्च की गई इसकी जानकारी भी नही दी गई ,	अस्वीकारात्मक वित्तीय वर्ष 2021–22 में DMFT Governing Council की 02 बैठकें दिनांक 30.04.2021 एवं 10.12.2021 को आयोजित की गयी जिसमें सभी माननीय विधायको, माननीय सांसदो एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इन बैठको में District Mineral Fund के अन्तर्गत उपलब्ध राशि एवं आय–व्यय का लेखा संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया था।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार DMFT के राशि के दुरूपयोग की जांच कराते हुए दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि0स0(अ0सू0)–24/2022 514 /एम0, राँची, दिनांकः 07/03/2022

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–744 दिनांक–28.02.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्री ढुलू महतो, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–29

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोविड–19 के बाद से निजी स्कूल के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क में अप्रत्याशित रूप से दोगुना तक बढ़ोतरी कर दी गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। कोविड–19 के दौरान निजी विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क में वृद्धि किए जाने की कुछ सूचना प्राप्त हुई है। निजी विद्यालयों के शिक्षण शुल्क के अप्रत्याशित वृद्धि पर नियंत्रण हेतु झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है जो सम्प्रति माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि कोविड–19 महामारी के बाद निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक काफी परेशानी झेल रहे हैं तथा आर्थिक रूप से इनपर दोगुना भार डालना कदाचित उचित नहीं है;	W.P.(S) No.-2025/2019 एवं संबद्ध सदृश्य याचिकाएं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायादेश पारित होने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।
3.	क्या यह बात सही है कि निजी विद्यालयों के लिए कोई नियमावली नहीं होने के कारण इनपर कोई अंकुश नहीं है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड राज्य में अवस्थित एवं संचालित निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से बढ़ोतरी किए जा रहे अप्रत्याशित शिक्षण शुल्क वृद्धि पर नियंत्रण हेतु निजी विद्यालयों के शुल्क संग्रहण एवं विनियमित करने हेतु झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा–7 में प्रावधान किया गया है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 में शुल्क संग्रहण एवं विनियमन हेतु विद्यालय स्तर पर निजी विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा मनोनित प्रतिनिधि एवं जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में अपील करने का भी प्रावधान संशोधित नियमावली में किया गया है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रावधानित शुल्क संग्रहण एवं विनियमन के विरूद्ध राज्य के कतिपय निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें विभाग द्वारा सभी सदृश्य याचिकाओं को club कर सुनवायी हेतु प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। सम्प्रति मामला माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें न्यायादेश पारित होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकेगा।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निजी विद्यालयों द्वारा दोगुना शिक्षण–शुल्क वापस करवाने एवं नियमावली का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–3 में उत्तर सन्निहित है।

07/03/2022

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक– 03 / JET–02 / 2022 ...477... / **राँची, दिनांक** 07-03-2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2022

सरकार के उप सचिव।

(76)

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–01 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड एक वनाच्छदित प्रदेश है और इसका 30 प्रतिशत भाग वन के रूप में चिन्हित है एवं इन वनों से प्रतिवर्ष कई वनोत्पाद जैसे चिरौंजी, महुआ, कुसुम, डोरी, इमली, जामुन, केन्दु पत्ता, लाह, कुटकी, सरगुज्जा, आंवला, चिरैता, बहेरा, हर्रे, रेशम, तसर, लेमनग्रास, इत्यादि प्राप्त होते हैं, लेकिन इस वन उत्पादों के प्रोसेसिंग हेतु प्रोसेसिंग प्लांट राज्य में नहीं होने के कारण ये वनोत्पाद बिचौलियों के माध्यम से दूसरे राज्यों और देश के बाहर बिक्री कर दिए जाते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः झाम्फकोफेड के माध्यम से झारखण्ड में लघुवनोपज का संग्रहण एवं विपणन कार्य किया जा रहा है। झास्कोलैम्पफ द्वारा झारखण्ड में ग्रामीण स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से लाह मूल्य संवर्द्धन ईकाई की स्थापना एवं संचालन लाह प्रक्षेत्र में किया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार झास्कोलैम्पफ, झाम्फकोफेड, वेजफेड, झास्कोफिश, जेएमएफ को सशक्त करते हुए बोकारो सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में उक्त वन उत्पादों के प्रसंस्करण, अनुसंधान, संग्रहण, भंडारण (शीत भंडारण सहित) एवं पैकेजिंग हेतु प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना करने का विचार रखती है, ताकि स्थानीयों की आमदनी और सरकारी राजस्व को बढ़ाया जा सके तथा झारखण्डवासी इन उत्पादों का सालोंभर उपयोग कर सकें, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वन उत्पादों के प्रसंस्करण, अनुसंधान, संग्रहण, भंडारण आदि हेतु सरकार द्वारा निम्न कार्य किये गये हैः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में सरकार द्वारा झास्कोलैम्पफ, झाम्फकोफेड, वेजफेड, झास्कोफिश के सशक्तिकरण हेतु कुल 10.00 करोड़ रू0 की राशि उपलब्ध कराई गई है। झास्कोलैम्पफ द्वारा लाह प्रक्षेत्र जिलों में अबतक कुल 10 प्राथमिक लाह प्रसंस्करण इकाई (क्षमता 100 कि0ग्रा0 प्रतिदिन) स्थापित किया गया है एवं लाह कृषकों को लाह मूल्य संवर्द्धन का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक वर्ष लाह मूल्य संवर्द्धन हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभाग द्वारा झाम्फकोफेड के प्रस्तावित C-PARC (Central Processing and Research Centre) की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका निर्माण भवन प्रमण्डल, राँची द्वारा मौजा–सिमलिया प्रखण्ड–रातू, राँची में किया जा रहा है, जिसके

260
07.03.2022

(प्र0सू0 30)

		अंतर्गत लघुवनोपज के प्रसंस्करण, अनुसंधान, पैकेजिंग, मार्केटिंग हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा **माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय "सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि०" एवं जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में "सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि०"** का गठन किया गया है। जिसके उद्देश्य है कि कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों तथा वनोपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कराना, अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीणों को उनके द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों का उचित पारिश्रमिक दिलवाना, कृषि एवं वनोपज का उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण, अनुसंधान तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों को सहकारी आधार पर संगठित करना, क्रय-विक्रय एवं वितरण की ऐसी व्यवस्था करना, जिससे कि सदस्यों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक-04/विधान सभा (अल्प सूचित)-21/2022 सह0 260 **/राँची, दिनांक-** 07.03.2022

प्रतिलिपिः-सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-109 वि0स0 दिनांक-17.02.2022 के क्रम में 200 चत्रलिखित प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

77

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–04 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में वन भूमि में विकास योजनाओं के निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आवश्यक है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में कई विकास योजनाओं का निर्माण संबंधित विभागों द्वारा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करने के बाद भी वर्षों लंबित रहने के कारण अधर में लटकी हुई है;	अस्वीकारात्मक। विकास योजनाओं के लिए अधिसूचित वनभूमि के अपयोजन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों का सतत् अनुश्रवण किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत मनातू प्रखण्ड का अति पिछड़ा, नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र, मुड़धोई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के एक वर्ष बाद भी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं मिलने के कारण आम जनता दुर्गम होने का दंश झेल रही है;	अस्वीकारात्मक। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रथमतः दिनांक–05.08.2021 को वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया गया। प्रस्ताव को दिनांक–23.08.2021 को राज्य स्तर पर स्वीकृत किया गया। तद्नुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर को दिनांक–14.09.2021 को ऑनलाइन समर्पित किया गया। त्रुटि निराकरण हेतु वर्तमान में प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिकरण के पास लंबित है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाकर विकास योजनाओं के निर्माण में तेजी लाकर पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों को सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वनभूमि अपयोजन की प्रक्रिया वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, एवं इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य सरकार के स्तर पर संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अ0सू0 प्रश्न–06/2022– 687 व0प0, दिनांक– 07/03/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–178, दिनांक–23.02.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

78

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

डा॰0 सरफराज अहमद, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-02

क्रमांक	प्रश्न **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-**	उत्तर **श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में उर्दू उत्क्रमित प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में उर्दू मुख्य विषय रहा है ;	वस्तुस्थिति यह है कि उर्दू भाषी छात्र भाषा विषय के रूप में उर्दू भाषा की पढ़ाई करते हैं।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 में उर्दू उत्क्रमित विद्यालयों में आठवीं बोर्ड से उर्दू को मुख्य विषय से हटा दिया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** वस्तुस्थिति यह है कि 8वीं बोर्ड की परीक्षा 03 पेपर के माध्यम से लिए जाते हैं। पेपर–1 एवं पेपर–2 की परीक्षा 150–150 अंकों की होगी तथा पेपर–3 में 100 अंकों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है। परीक्षा के लिए पेपर–1 के विषयों एवं अंकों का निर्धारण निम्नवत् रूप से किया गया है – • हिन्दी –50 अंक • अंग्रेजी –50 अंक • संस्कृत / उर्दू / क्षेत्रीय भाषा (कोई एक) –50 अंक प्रारंभ से ही त्रिभाषा नीति के अनुरूप 8वीं परीक्षा में मुख्य विषय के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी के साथ उर्दू विषय को भी वैकल्पिक रूप से लेने का प्रावधान है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उर्दू को हिन्दी एवं अंग्रेजी की तरह मुख्य विषय मानकर आठवीं बोर्ड में उर्दू को रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों से स्पष्ट है कि आठवीं बोर्ड से उर्दू विषय को हटाया नहीं गया है। छात्र उर्दू विषय में परीक्षा में सम्मिलित होते हैं।

7/3/22
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/व:2-13/2022-411 / राँची, दिनांक 07 / 03 / 2022

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-183, दिनांक 23.02.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/3/22
सरकार के अवर सचिव

(79)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-08.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-12 से संबंधित उत्तरः-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों को बिना मापदण्डों को पूरा कराये ही संचालन की स्वीकृति दी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में कुल 16 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बनाये गये मॉडल गाइडलाईन्स के पूर्व कुल 04 निजी विश्वविद्यालय यथा- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया (ICFAI), रांची झारखण्ड राय विश्वविद्यालय, राँची, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची एवं उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, राँची की स्थापना अधिनियम के माध्यम से हुई है। वर्ष 2014 में मॉडल गाइडलाईन्स बनने के पश्चात् 12 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना निर्धारित शर्तों के अनुपालन का undertaking के साथ विधिवत् पारित विधेयक द्वारा की गयी है। UGC मापदण्डों के अनुरूप तैयार प्रपत्र में शर्तों के अनुपालन संबंधी सूचनाएँ उपलब्ध कराने हेतु सभी निजी विश्वविद्यालयों को निदेशित किया गया है। सरला-बिरला विश्वविद्यालय, रांची एवं अरका जैन विश्वविद्यालय, गम्हरिया से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी समीक्षा की जा रही है। शेष अन्य को दिनांक 15.03.2022 तक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षा की जाएगी । संप्रति निजी विश्वविद्यालयों के स्वीकृति पर पुनर्विचार का मामला विभाग में विचाराधीन नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के निजी विश्वविद्यालय केवल सर्टिफिकेट बाँटने का केन्द्र बनकर रह गए हैं, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है;	उपरोक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीच्कारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन निजी विश्वविद्यालयों के स्वीकृति पर पुनर्विचार करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- 01/वि०स०-14/2022 274 / रांची, दिनांक- 06/03/2022

प्रतिलिपिः- उप सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-568, दिनांक-25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/3/22
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

80

551
07/03/2022

श्री लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–13

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय सचिव के पत्रांक–1917 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 द्वारा वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त कर नई नियमावली बना कर सभी वित्तरहित कर्मचारियों की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान् देने के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को विषयाधीन मामले में समुचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था, जिस पर चार महीना बीत जाने के बावजूद अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई फलतः वित्तरहित कर्मचारियों एवं शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 एवं झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 तथा संशोधित नियमावली, 2015 एवं संकल्प संख्या–1953 दिनांक 18.10.2014 के आलोक में राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय/प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय/प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय को प्रतिवर्ष अनुदान दिया जा रहा है। विभागीय पत्रांक, 1917 दिनांक 10.10.2021 द्वारा एतद्विषयक राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्रवाई किये जाने के वक्तव्य के आलोक में कार्रवाई हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची से अनुरोध किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त कर सभी वित्तरहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को स्थायी करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खंड में उत्तर सन्निहित है।

07.03.22

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.02–201/2022 551 राँची, दिनांक 07/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.03.22

सरकार के अवर सचिव।

81

सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–08

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में खनन् प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफटी योजना के तहत् विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में झारखण्ड के सभी 24 जिलों में District Mineral Foundation Trust (DMF) का गठन किया जा चुका है। DMFT कोष में अबतक कुल 8099.4 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें कुल राशि 5402.48 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति DMF Rules, 2016 एवं केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana (PMKKKY) के तहत खनन कार्यों से प्रभावित खनन क्षेत्रों एवं जन समुदाय (विस्थापित सहित) के उत्थान एवं कल्याण के लिए पेयजलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में दी गयी है। (अनुलग्नक–1)
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत् अधिकारियों द्वारा खनन् प्रभावित क्षेत्र के विकास पर राशि ना खर्च करते हुए नियम के प्रतिकूल प्रभावित क्षेत्र से बाहर राशि खर्च करने की शिकायतें प्राप्त होती रही है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। राज्य अन्तर्गत सभी जिलों में गठित DMFT कोष में प्राप्त राशि का व्यय DMFT Rules, 2016 एवं PMKKKY गाईडलाईन के अनुरूप खनन कार्यों से प्रभावित खनन क्षेत्रों एवं जन समुदाय (विस्थापित सहित) के उत्थान एवं कल्याण के लिए पेयजलापूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डीएमएफटी योजना के तहत् राशि के खर्च के अनुश्रवण हेतु जिला, प्रमंडल व राज्य स्तर पर जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की अनुश्रवण समितियों का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि0स0(अ0सू0)–09/2022 500 /एम0, राँची, दिनांकः 05/3/2022

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–180 दिनांक–23.02.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/3/22

सरकार के उप सचिव

82

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–26 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि विभाग के संकल्प सं0–3906, दिनांक–18.09.2017 द्वारा झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान–माल, फसल, पालतु जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2021–22 में महँगाई में अत्यधिक वृद्धि हुई है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि Inflation Rate की वृद्धि के आलोक में मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है;	मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित तथ्यों के आलोक में मुआवजा राशि में वृद्धि का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–28/2022–688 व0प0, दिनांक– 07/03/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–846, दिनांक–03.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

F/Vidhansabha-25 (Mukesh)

83

542
02/03/2022

डॉ0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–1953 दिनांक 18.10.2014 के तहत् झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के तहत् छात्र संख्या के आधार पर राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त 186 मदरसों को अनुदान दिया जाता है;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं. 1953 दिनांक 18.10.2014 के तहत् कुल 46 मदरसों को छात्र संख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है। राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त 183 मदरसों को वेतन अनुदान प्राप्त होता है, जो मदरसा में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के लिए सृजित पद के आलोक में होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 द्वारा मात्र इंटर स्तर तक के मदरसों को प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित 12 मदरसे स्वतंत्र रूप से आलिम, फाजिल में पठन–पाठन करते हैं तथा परीक्षा का आयोजन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा किया जाता है;	स्वीकारात्मक राज्य में कुल 12 मदरसों में आलिम एवं फाजिल का पठन–पाठन होता है। इन मदरसों को बिहार काल से ही आलिम या फाजिल स्तर तक उत्क्रमित किया गया है। आलिम एवं फाजिल कक्षा, क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर समतुल्य स्तर की कक्षाएँ हैं। परिषद् द्वारा इंटर स्तर तक की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ये परीक्षाएँ विश्वविद्यालय स्तर के होने के कारण दिनांक 23.09.2017 को संपन्न परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परिषद् वर्ष 2018 से आलिम एवं फाजिल की परीक्षा आयोजित नहीं करेगी, जिसे झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पत्रांक 123/17 दिनांक 03.11.2017 द्वारा विभाग को भी अवगत कराया गया था एवं अनुरोध किया गया था कि इन परीक्षाओं का आयोजन किसी विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाय। निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्रांक 2727 दिनांक 24.11.2017 के माध्यम से परिषद् को यह अनुरोध किया गया कि वर्त्तमान शैक्षणिक सत्र (2017–18) की परीक्षा परिषद् द्वारा ही आयोजित की जाय। आगामी सत्र से इसे राँची विश्वविद्यालय के अधीन आयोजित किया जायेगा। इस आलोक में वर्ष 2018 की परीक्षा सम्पादित की गई। पुनः उप निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्रांक 2183 दिनांक 20.11.2018 के माध्यम से किए गए अनुरोध के आलोक में वर्ष 2019 की परीक्षा भी आयोजित की गई। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के पत्रांक 5049 दिनांक 09.11.2019 के द्वारा सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल

डॉ0 सरफराज अहमद, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–07

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
		विकास विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय को यह सूचित किया गया कि आगामी वर्ष से इन परीक्षाओं का संचालन विश्वविद्यालय स्तर से ही कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय। पुनः सरकार के प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक 1360 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा परिषद् को सूचित किया गया है कि मदरसों के आलिम एवं फाजिल की परीक्षा का आयोजन पूर्व की भांति झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से ही कराया जाय। उक्त के आलोक में परिषद् द्वारा इन परीक्षाओं का आयोजन पूर्व की भांति किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य मदरसों में आलिम, फाजिल की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का प्रतिवेदन है कि मदरसा के आलिम एवं फाजिल कक्षा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्ग के समतुल्य माना जाता है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को मात्र इंटर स्तर तक के इंटर महाविद्यालयों को मान्यता देने की कार्रवाई हेतु अधिसूचना ज्ञापित है। इंटर कक्षा से ऊपर की संस्था को मान्यता देना परिषद् के क्षेत्राधिकार में नहीं है, से वस्तुस्थिति स्वतः स्पष्ट है।

07/03/22

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.02–211 / 2022 542 राँची, दिनांक 07/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/22

सरकार के अवर सचिव।